

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(32) ग्राविवि-5/सां./PMAY-G/Remand Module /2018-19

जयपुर, दिनांक 26 अक्टूबर, 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, (ग्रा.वि.प्र.)  
समस्त राजस्थान।

**विषय :-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सेक-2011 सूची में शामिल लाभार्थियों को Remand Module द्वारा वरीयता सूची से हटाने के संबंध में।

**प्रसंग :-** विभागीय पत्र दिनांक 04.09.2018 एवं 01.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्रों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत वरीयता क्रम में शामिल परिवारों को निर्धारित मापदण्डों के परीक्षण उपरान्त अपात्र पाये जाने पर आवाससॉफ्ट पर Remand Module का उपयोग कर वरीयता सूची से हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

योजनान्तर्गत जिलों द्वारा Remand Module पर लाभार्थी की मृत्यु, पूर्व में लाभान्वित, सरकारी सेवा में कार्यरत, पक्का मकान, स्थायी पलायन आदि कारणों से अपात्र मानते हुए प्रकरण दर्ज किये हैं।


उक्त संबंध में जिलो से प्राप्त प्रकरणों में राज्य स्तर से परीक्षण करने पर प्राप्त कमियों के क्रम में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है-

1. मृत्यु होने पर- मृत्यु एकल सदस्य परिवार का प्रमाण पत्र संलग्न करे।
2. आई.डी. मिलान नहीं- आवाससॉफ्ट पर प्राप्त व संलग्न दस्तावेज समान रजिस्ट्रेशन आई.डी. के होने चाहिए।
3. नाम मिलान नहीं- आवाससॉफ्ट पर प्राप्त व संलग्न दस्तावेज समान नाम के होने चाहिए।
4. संलग्न दस्तावेज स्पष्ट नहीं- दस्तावेजों की स्पष्ट छायाप्रति संलग्न की जावें।
5. कारण अंकित नहीं- संलग्न दस्तावेजों में लाभार्थी को अपात्र घोषित करने का कारण आवश्यक रूप से अंकित किया जावे, अर्थात् हटाने के कारण को अवश्य अंकित किया जावे।
6. स्थाई पलायन- पूर्व निर्देशानुसार स्थाई पलायन के प्रकरणों में स्थानीय समाचार पत्रों में इस बारे में प्रकाशित विवरण की फोटों प्रति भी संलग्न करें (पत्र दिनांक 04.09.2018)।

उक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर आवाससॉफ्ट पर Remand Module का उपयोग कर वरीयता सूची से हटाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

  
(जयपाल सिंह मेडतिया)  
स्टेट नोडल अधिकारी  
(पीएमएवाईजी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।

  
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(32), ग्रावि/गुप-5/सा./PMAY-G/Remand Module /2018-19 जयपुर, दिनांक 4 सितम्बर, 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, (ग्रा.वि.प्र)  
समस्त राजस्थान।


**विषय :-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सेक-2011 सूची में शामिल स्थायी पलायन कर गये लाभार्थियों को Remand Module द्वारा वरीयता सूची से हटाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत वरीयता सूची में शामिल परिवारों को वर्गवार वरीयता क्रम में लाभ दिये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में वरीयता क्रम में शामिल परिवारों को योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के परीक्षण उपरान्त अपात्र पाये जाने पर आवाससॉफ्ट पर Remand Module का उपयोग कर वरीयता सूची से हटाये जाने का प्रावधान है।


योजनान्तर्गत जिलों द्वारा Remand Module पर लाभार्थी की मृत्यु, पूर्व में लाभान्वित, सरकारी सेवा में कार्यरत, पक्का मकान, स्थायी पलायन आदि कारणों से अपात्र मानते हुए प्रकरण दर्ज किये हैं।

उक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि जिन लाभार्थियों को स्थायी रूप से पलायन मानते हुए Remand Module पर दर्ज किया गया है उन लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतवार/पंचायत समितिवार, ग्राम पंचायत /पंचायत समिति के मुख्य स्थानों पर चस्पा किया जावे, साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों में इस आशय के साथ निम्न परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत लाभ हेतु पात्र है अतः दस्तावेजों के साथ 15 दिवस में संबंधित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति में सम्पर्क करें, योजनान्तर्गत पंजीकरण करावे अन्यथा आपका नाम वरीयता सूची से हटा दिया जावेगा, की अपील स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावे। निर्धारित अवधि में उक्त में से जिन लाभार्थियों द्वारा आवास योजना का लाभ लिये जाने हेतु सम्पर्क नहीं किया जाता है, तदुपरान्त उक्त लाभार्थियों का स्थायी पलायन मानते हुए, वरीयता सूची Remand Module के द्वारा हटाये जाने हेतु प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किये जावे।

भवदीय,  
  
(जयपाल सिंह मेडतिया)  
स्टेट नोडल अधिकारी  
(पीएमएवाईजी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।

  
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(36) ग्राविवि/गुप-5/सां./DI /2018-19

जयपुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2018

**जिला कलेक्टर  
समस्त राजस्थान।**

**विषय :-** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत स्थायी वरीयता सूची (PWL) के क्रम में।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के अध्याय - 4 के अनुसार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतवार स्थायी वरीयता सूची (PWL) बनाये जाने का प्रावधान है। उक्त वरीयता सूची में ग्राम पंचायतवार एवं वर्गवार लाभार्थी आवास सॉफ्ट की रिपोर्ट में प्रदर्शित है। जिसके अनुसार राज्य में वर्गवार निम्नानुसार लाभार्थी सम्मिलित है।

| ST     | SC     | Minorities | Others | Total   |
|--------|--------|------------|--------|---------|
| 647149 | 342071 | 86184      | 623579 | 1698983 |

यह सूची ग्राम पंचायतवार आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 तक राज्य को 687091 के लक्ष्य प्राप्त हुये है, जिनमें से लगभग स्वीकृतियां जारी किये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। समीक्षा बैठकों एवं जिलों से प्राप्त पत्रों से ध्यान में लाया गया है कि स्थायी वरीयता सूची में अपात्र व्यक्ति/स्थायी रूप से पलायन कर गये व्यक्ति भी शामिल है। जिसके क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उनको हटाये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. अपात्र व्यक्ति की पहचान एवं ग्राम पंचायत द्वारा कारण सहित नाम हटाये जाने की पंचायत समिति को अनुशंसा।
2. पंचायत समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त जिले को प्रस्ताव प्रेषित करना।
3. पंचायत समिति से प्राप्त पत्रों का जिला स्तर पर परीक्षण एवं पलायन के प्रकरणों को स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी करना (विभागीय पत्र दिनांक 04.09.2018)।
4. तदुपरान्त आवास सॉफ्ट पर जिले की जिला लॉगिन से हटाये जाने की अनुशंसा राज्य को प्रेषित करना।


उक्त प्रक्रिया के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन फ्रेमवर्क के अनुसार वरीयता सूची के श्रेणीवार वरीयता क्रम में ही स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2018-19 की स्वीकृतियों की समीक्षा के दौरान ध्यान में लाया गया है कि श्रेणीवार वरीयता में लाभार्थियों को स्कीप कर अगली वरीयता वाले को स्वीकृतियां जारी की गई है, जो नियमानुसार गलत है।

अतः निर्देश है कि ग्राम पंचायतवार/वर्गवार अंतिम वरीयता क्रम जिसको स्वीकृति जारी की गई हो के उपर छोड़े गये लाभार्थियों की सूची तैयार कर पंचायत समितिवार सम्मिलित कर सूचना अविलम्ब प्रेषित की जावें। उक्त तैयार सूची के क्रम में निम्नानुसार कार्य किये जावें।

1. भूमिहीन पात्र परिवार को नियमानुसार भूखण्ड उपलब्ध कराया जाये।
2. स्थायी रूप से पलायन के प्रकरणों में संकलित कर पंचायत समितिवार विज्ञप्ति जारी कर अंतिम रूप से पलायन कर गये लाभार्थियों की सूची जिला स्तर से रिमाण्ड मॉड्यूल में अपलोड करावें।
3. अपात्र व्यक्तियों की सूची अविलम्ब आवास सॉफ्ट पर जिला स्तर से अपलोड की जावें।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त कार्यवाही जिला/पंचायत समिति द्वारा पूर्ण किये जाने पर ही वर्ष 2019-20 के लक्ष्यों के विरुद्ध स्वीकृतियां जारी किया जाना संभव हो सकेगा। क्योंकि वरीयता क्रम का उल्लंघन कर स्वीकृतियां जारी किये जाने से अनियमितता की संभावना रहती है एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन फ्रेमवर्क का उल्लंघन है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

भवदीय,  
  
(राजेश्वर सिंह)  
प्रमुख सचिव

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

  
अधीक्षक अभियंता, ग्रावि